समाहरणालय, शिवहर

(जिला राजस्व शाखा)

आम सूचना

लघु खनिज व्यापार हेतु खुदरा अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

खान एवं भूत्तव विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–3024 दिनांक–11.10.2017 के आलोक में लघु खनिजों के खुदरा व्यापार हेतु प्रत्येक जिलो में पर्याप्त संख्या में खुदरा अनुज्ञप्तियाँ प्रदान की जानी है। नवगठित नयी बिहार लघु खनिज नियमावली–2017 की धारा–45 के तहत खुदरा अनुज्ञप्ति देने की शक्ति समाहर्ता को प्रदत है।

उक्त आलोक में सभी इच्छुक/फर्मो से लघु खनिज के व्यापार के खुदरा अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

1. अनुज्ञप्ति देने के लिए निम्न अर्हत्ता होगी :–

i अनुज्ञप्तिधारी को जिस क्षेत्र में वह अनुज्ञप्ति चाहता है उस क्षेत्र में एक कार्यालय होना तथा कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं कर्मियों की सुविधा होना अनिवार्य है। कार्यालय का अवस्थिति इस प्रकार होना चाहिए जिसमें पर्याप्त प्रकाश, कर्मियों अथवा ग्राहकों के लिए सुविधायुक्त बैठने की व्यवस्था, महिला–पुरूष शौचालय, पानी की व्यवस्था इत्यादि होनी चाहिए। कार्यालय में रखे गये कर्मियों का चरित्र सत्यापन एवं श्रम विभाग के नियमों के अनुसरण में कर्मियों का रखा जाना अनिवार्य होगा।

ii अनुज्ञप्तिधारी के पास कम से कम 05 वाहन खड़ा करने की भूमि इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह 12 महीनें सरकारी सम्पर्क सड़क से जुड़ा हुआ हो एवं 05 वाहन बालू/लघु खनिज के रखने, उतारने–चढाने एवं वजन करने/कराने हेतु पर्याप्त जगह हो। लघु खनिज से लदे ट्रक किसी भी हालत में सरकारी सड़क अथवा सार्वजनिक स्थान पर नहीं रखी जानी चाहिए। यदि अनुज्ञप्तिधारी के पास स्वयं की भूमि नहीं हो तो किराये पर यह व्यवस्था कर सकते हैं। किरायें पर लिए गए भूमि के संदर्भ में निर्धारित स्टाम्प शुल्क के पत्र पर निबंधित एकरारनामा अथवा स्वयं की भूमि होने का संबंधित अंचलाधिकारी से स्त्यापित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।

iii अनुज्ञप्ति धारी को PAN CARD HOLDER तथा Adhar Card होना अनिवार्य है।

iv अनुज्ञप्तिधारी को Police Verification Report भी देना अनिवार्य होगा।

2. अनुज्ञप्तिधारी हेतु अन्य शर्ते :–

i खुदरा अनुज्ञप्ति मिलने पर GST Registration अनिवार्य होगा।

ii अनुज्ञप्तिधारी को सभी व्यापार E-Challan के माध्यम से करना होगा।

iii नियम–53 के तहत, अनुज्ञप्तिधारी के पास यदि अपने ट्रक हैं, तो उनमें Digital Lock तथा GPS/Load cell लगाना अनिवार्य होगा।

iv अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी वाहनधारी अथवा ट्रैक्टर धारी के साथ व्यापार नहीं करेंगे जिन्होंने Digital Lock तथा GPS नहीं लगवाया है।

v अनुज्ञप्तिधारी अपने सभी रिटर्न ससमय जिला खनन पदाधिकारी तथा विभाग के समक्ष दायर करेंगे।

vi ओवरलोड़िग किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाना है एवं लघु खनिज से लदे वाहन पर तारपोलिन/तिरपाल से ढ़ंक कर परिवहन करना अनिवार्य होगा।

vii अनुज्ञप्तिधारी को मोटर वाहन अधिनियम के सभी सुसंगत धाराओं/प्रावधानों/ नियमों का अक्षरसः अनुपालन करना होगा।

viii धर्म कॉटा अथवा लघु खनिज के वजन करने हेतु अन्य वैकल्पिक व्यवस्था के संदर्भ में समाहर्ता अथवा विभाग के निर्देश/अनुदेश का अक्षरसः अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

ix सभी खुदरा अनुज्ञप्ति 3(तीन) वर्ष के लिए दी जाएगी।

x अनुज्ञप्ति शुल्क प्रति वर्ष रूपये 10000.00 (दस हजार) की दर से कुल 30000.00 (तीस हजार) रूपये प्रारम्भ में ही ले लिए जायेंगे।

xi उन्हें अनुज्ञप्ति अवधि, यानी तीन वर्ष की अवधि, के लिए रूपये 100000.00 (एक लाख) की बैंक गारंटी देनी होगी।

3. खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को देय कमीशन :– सभी खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को बिहार राज्य खनन निगम द्वारा लघु खनिज की बिक्री का कुल मूल्य (Ex Go Down of BSMC) पर कमीशन देय होगा। कमीशन खान एवं भूत्तव विभाग द्वारा तय किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त परिवहन खर्च भी प्रति किलोमीटर की दर से देय होगा।

4. खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को देय परिवहन खर्च :– खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को देय परिवहन खर्च वही होगा जो समाहर्त्ता तय करेंगे।

5. **इच्छुक आवेदक निम्न प्रपत्र में आवेदन दे सकते है।**

    1. आवेदक का नामः–
    2. आवेदक का ई–मेल तथा मोवाईल नं0:–
    3. आवेदक का स्थायी पताः–
    4. आवेदक का व्यापारिक पता (जहाँ वह लघु खनिज का व्यापार करना चाहते हों):–
    5. आवेदक के पास उपलब्ध कार्यालय एवं कम्प्यूटर की सुविधा संबंधी विवरणी बतायें कि कार्यालय कितना बड़ा है एवं कम्प्यूटर तथा अन्य कर्मी इत्यादि कितने है :–
    6. आवेदक के पास स्वयं के कितने वाहन हैः–
    7. आवेदक के पास वाहन खड़े पार्किंग हेतु कितनी भूमि उपलब्ध है। आवेदक के पास स्वयं की भूमि न हो तो वह उचित किराये पर भी इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। कृपया उक्त भूमि का कर रकबा एवं पता स्पष्ट अंकित किया जाए।
    8. संलग्न कागजात : आवेदक निम्नलिखित कागजात संलग्न करें :–
        i. PAN Card की प्रति
        ii. Aadhar Card की प्रति
        iii. यदि आवेदक/फर्म है तो उसके निबंधन प्रमाण–पत्र की प्रति।
        iv. चरित्र प्रमाण–पत्र (Police Verification Report) की प्रति।
        v. निम्न प्रकार का एक शपथ–पत्र :–

मैं...............................(आवेदक का नाम)घोषणा करता हूँ कि खुदरा अनुज्ञप्तिधारी के तौर पर समाहर्ता के समक्ष दी गयी सभी सूचनाएँ सही हैं। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे उपर खान एवं भूत्तव विभाग या किसी अन्य विभाग की कोई सरकारी राशि देय नहीं है और न ही मुझे सरकार द्वारा कभी Black List किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 के तहत दी गयी शर्तें तथा विज्ञापन में दी गई सभी शर्तों का पालन करूँगा। मैं लघु खनिज के परिवहन में उन्हीं वाहन धारियों से व्यवसाय करूँगा जिन पर Digital Lock तथा GPS/Load cell लगा होगा। मैं ऐसे किसी वाहन के माध्यम से न खनिज खरीदूँगा और न बेचूँगा जिस पर GPS तथा Digital Lock/Load cell नही लगा होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

6. उपरोक्त आवेदन दिनांक 11.11.2017 तक निम्न पते पर भेजी जाए।
अपर समाहर्त्ता,
जिला राजस्व शाखा,
समाहरणालय, शिवहर।
पिनः–843329

7. आवेदक इस आम सूचना को sheohar.bih.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

8. आवेदन डाक से अथवा हाथों–हाथ कार्य दिवस में कार्यालय को उपलब्ध कराया जा सकता है।

समाहर्त्ता,
शिवहर।